

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016—पौष 21, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-3-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, जबलपुर, जिला जबलपुर के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है :—

### स्थान

ग्राम पंचायत कुण्डम, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.104 हेक्टेयर (5.20 एकड़) भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	537/2	2.104
योग : 2.104		

### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री रविशंकर मिश्र की भूमि.

दक्षिण में—ओमप्रकाश जायसवाल एवं श्री दशरथ चनपुरिया की भूमि.

पूर्व में—श्री मुरारीलाल चक्रवर्ती की भूमि.

पश्चिम में—श्री शिखरचन्द गुलाबचंद जैन की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-3-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 11<sup>th</sup> January 2016

No. D-15-3-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Jabalpur, District Jabalpur has been established by this department's Notification even dated 28<sup>th</sup> April 1969 shall be Sub-market yard namely:—

## PLACE

An area of 2.104 Hectare's land of below mentioned Khasra number at Kundam Gram Panchayat in Tehsil Kundam of District Jabalpur :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectors)
(1)	(2)	(3)
1	537/2	2.104
Total :		2.104

## BOUNDED BY

**On the North by**—Land of Shri Ravishankar Mishra.

**On the South by**—Land of Shri Omprakash Jayswal and Shri Dashradh Chanpuriya.

**On the East by**—Land of Shri Murarlal Chakravarti.

**On the West by**—Land of Shri Shikharchandra, Gulabchandra Jain.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-3-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण, जबलपुर, जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

## क्षेत्र

(1) ग्राम पंचायत कुण्डम, तहसील कुण्डम, जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

- (1) कुण्डम, (2) सदाफल, (3) उमरझिर, (4) जैतपुरी, (5) सरसवां, (6) संदविनी, (7) लखनवारी, (8) भौका देवरी, (9) हाड़ीपानी, (10) मनपुरा, (11) कल्याणपुर, (12) समनापुर, (13) उचहेरा, (14) मंहगावा, (15) सालवेली, (16) सिमपार, (17) सलैया, (18) करनपुरा, (19) छपरा, (20) मोहनी, (21) बार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. डी-15-3-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 11<sup>th</sup> January 2016

No. D-15-3-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number dated 11<sup>th</sup> January 2016 the following area of Jasinagar of District Sagar shall be sub-market area:—

#### AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Kundam in Tehsil Kundam of District Jabalpur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely:—
  - (1) Kundam, (2) Sadaphal, (3) Umarjhir, (4) Jaitpuri, (5) Sarsawa, (6) Sandvini, (7) Lakhnawari, (8) Bhokha Devri, (9) Hadipani, (10) Maanpura, (11) Kalyanpur, (12) Samnapur, (13) Uchehara, (14) Mehgawan, (15) Shalveli, (16) Simpar, (17) Salaiya, (18) Karanpura, (19) Chhapra, (20) Mohni, (21) Baar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AJAY GUPTA, Dy. Secy.